



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ संख्या: भा. वि. प्रा./क्षे. मु/उ. पू. क्षे. /ईएनजीजीसी/ नया रूप /जीएचवाई/2025-26/कार्य आदेश-04/ दिनांक: 472-75
Ref. No.: AAI/RHQ/NER/ENGGC/FACELIFT/GHY/2025-26/W.O-04/ Date: 02.02.2026

सेवा मे, /To,
मेसर्स जगत ज्योति चेतिया
M/s Jagat Jyoti Chetia
इटाखुली, घाटापारा, उत्तरी लखीमपुर,
Itakhuli, Ghatapara, North Lakhimpur,
लखीमपुर, असम - 787053 / Lakhimpur, Assam-787053
मोबाइल नंबर/ Mobile No. 9707407618
ईमेल/e-Mail: chetiajagat@gmail.com

विषय:- नए आरएचक्यू भवन, एएआई, गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉरिडोर और कॉमन लॉबी का नया रूप (सिविल एवं विद्युत कार्य)।

Sub: - Facelift of Conference Hall, Corridor and Common lobby at New RHQ Building, AAI, Guwahati. (Civil & Electrical Works).

निविदा आई.डी.: / Tender ID: 2025_AAI_241244_1

संदर्भ: 1. आपकी वित्तीय ई-बोली 26-08-2025 को CPP पोर्टल के माध्यम से खोली गई।

Reference: Your financial e-bid opened on 26-08-2025 through CPP Portal.

2. दिनांक 10.01.2026 का आपका वैधता विस्तार पत्र.

Your validity extension letter dated 10.01.2026.

महोदय /Sir (s),

- उपर्युक्त विषय से संबंधित कार्य के लिए आपकी ई-निविदा इस पत्र के तहत अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से स्वीकार किया जाता है, जिसकी कुल राशि **रु. 47,22,884.20 (जी. एस. टी के बिना)** (सैंतालीस लाख बाईस हजार आठ सौ चौरासी पैसे मात्र) जो कि अनुमानित लागत निविदा के लिए रखी गई राशि **रु. 65,81,200/- (जी. एस. टी के बिना)** से **28.24% (प्रतिशत) कम** है।

Your e-Tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at the item rates quoted by you totaling to **Rs. 47,22,884.20 (Excluding GST)** (Rupees Forty Seven Lakh Twenty Two Thousand Eight Hundred Eighty Four and Twenty Paise only) which is **28.24% below** the estimated cost put to tender of **Rs. 65,81,200/- (Excluding GST)**.

- स. महाप्रबंधक (अभि-सि)**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, उ.पू. क्षेत्र, इस कार्य के प्रभारी अभियंता होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप संविदा करार पर हस्ताक्षर करने एवं उसे पूरा करने हेतु **स. महाप्रबंधक (अभि-सि)**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, उ.पू. क्षेत्र के कार्यालय में 09.02.2026 तक उपस्थित हों। संविदा करार रु.100/- (सौ रुपये मात्र) के गैर न्यायिक (नॉन ज्युडिशियल) स्टाम्प पेपर पर बनाया जाएगा और स्टाम्प पेपर की लागत आपको वहन करनी होगी।

AGM (E-C), AAI, RHQ, NER, shall be the Engineer-in-Charge of the work. You are requested to attend office of the Engineer-in-charge i.e. **AGM (E-C)**, AAI, RHQ, NER, to sign and complete the contract agreement by 12.02.2026 The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

- आपके ई-निविदा के साथ प्राप्त **1,97,436/- रुपये (एक लाख सत्तानवे हजार चार सौ छत्तीस मात्र)** की बयाना राशि को अनुबंध दस्तावेज़ का पृष्ठ संख्या 17-18 (जीसीसी के) पर खंड संख्या 1ए के अनुसार सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में माना जाएगा और परिवर्तित किया जाएगा। कृपया इस पत्र के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा राशि के रूप में **2,74,853/- रुपये (दो लाख चौहत्तर हजार आठ सौ तिरपन मात्र)** जमा करें, अन्यथा अनुबंध दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 17-18 (जीसीसी के) पर खंड संख्या 1 ए की शर्त के अनुसार कटौती की जाएगी।

(Signature)
21/2/26

(राजपाल लवासिया/Rajpal Lawasiya)
स.म.प्र. (अभि-सिविल)/AGM (Engg-Civil)

The earnest money amount of **Rs. 1,97,436/-** (Rupees One Lakh Ninety Seven Thousand Four Hundred Thirty Six only) received along with your e-tender will be treated and converted as part of security deposit as per Clause No. 1A on page no. 17-18 (of GCC) Of contract document. Please deposit Rs.2,74,853/- (Rupees Two Lakh Seventy Four Thousand Eight Hundred Fifty Three only) towards security deposit within 10 days from the date of issue of this letter failing which, the same will be deducted as per condition of Clause no. 1A on page no.17-18 (of GCC) of contract document.

4. आपसे अनुरोध है कि संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण मजदूर कल्याण उपकर अधिनियम 1996 और केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के प्रावधान का अनुपालन करें, जो निविदा के GCC के धारा 19, पृष्ठ 48 से 54 पर निर्दिष्ट है।

You are requested to comply with the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labour (Regulation and Abolition) Central rules 1971, Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction workers Welfare Cess Act 1996 as specified in Clause 19, on Page 48 to 54 of GCC of tender and rules of Central and State Government.

5. आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप **प्रबंधक (अभि-सिविल)**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, उ.पू.क्षेत्र से तत्काल सम्पर्क करें जो कि कार्यस्थल सुपुर्द करने की व्यवस्था करेंगे।

You are also directed to contact Manager (E-C), AAI, RHQ, NER immediately who will arrange to hand over the site.

6. कृपया यह नोट कर लें कि काम करने का समय 06 (छह) महीने, जिसे **इस पत्र के जारी होने के 10वें दिन** से गिना जाएगा।
Please note that the time allowed for carrying out the work shall be 06 (Six) Months and the same shall be reckoned from **10th day after issue of this letter.**

7. संविदा के संबंध में आगे किया जाने वाला पत्राचार सामान्यतः इंजीनियर प्रभारी से किया जाए।

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer-in-Charge.

8. कृपया रसीद की पावती दें और इसके साथ संलग्न इस पत्र की डुप्लीकेट कॉपी को स्वीकृति के प्रतीक के रूप में अधोहस्ताक्षरी को विधिवत हस्ताक्षर करने के बाद लौटा दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after duly signing it to the undersigned as a token of acceptance.

9. यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को सही माना जाएगा।

In case any discrepancy is found, then English version will be taken as correct.

धन्यवाद/ Thanking you.

भवदीय / Yours faithfully,



(राजपाल लवासिया) / (Rajpal Lawasiya)

स.महाप्रबंधक (अभि-सि) / AGM (E-C)

भा. वि. प्रा., क्षे.मु. उ. पु. क्षे. गुवाहाटी

AAI, RHQ, NER, Guwahati.

अध्यक्ष महोदय की ओर से/ For and on behalf of the Chairman,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India

(Rajpal Lawasiya)
(AGM (E-C))
(अभि-सि-सी)



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ संख्या : एएआई/आरएचक्यू/एनईआर/ईएनजीजीसी/फेसलिफ्ट/जीएचवाई/2026-दिनांक :

Ref. No. AAI/RHQ/NER/ENGGC/FACELIFT/GHY/2026-27 / 2211 Date. : 18.06.2026...

सेवा मे/ To,

मैसर्स जगत ज्योति चेतिया

इटाखुली, घाटापारा, उत्तरी लखीमपुर

लखीमपुर, असम-787053

मोबाइल नंबर 9707407618

ई-मेल: chetiajagat@gmail.com

M/s Jagat Jyoti Chetia

Itakhuli, Ghatapara, North Lakhimpur

Lakhimpur, Assam-787053

Mobile No. 9707407618

E-Mail: chetiajagat@gmail.com

काम का नाम : नए आरएचक्यू भवन, एएआई, गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉरिडोर और कॉमन लॉबी का नया रूप (सिविल एवं विद्युत कार्य)।

उपशीर्षक : काम का दायरा छोड़ देने के कारण अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने का नोटिस।
अनुबंध : एएआई/आरएचक्यू/एनईआर/ईएनजीजीसी/फेसलिफ्ट/जीएचवाई/सी ए/2025-26,
संख्या दिनांक: 20.02.2026

Name of Work : Facelift of Conference Hall, Corridor and Common lobby at New RHQ Building, AAI, Guwahati. (Civil & Electrical Works).

SH : Notice for foreclosure of contract due to abandonment of scope of work

Agreement No : AAI/RHQ/NER/ENGG-C/FACELIFT/GHY/CA/2025-26, dated: 20.02.2026.

प्रिय महोदय/ Dear Sir,

ऊपर बताए गए काम के बारे में और काम का दायरा छोड़ने के बारे में पहले हुई बातचीत को जारी रखते हुए, यह बताया जाता है कि काम का दायरा छोड़ने की वजह से अथॉरिटी को काम का कॉन्ट्रैक्ट फ़ोरक्लोज़र करने पर विचार करना पड़ रहा है।

इसके अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉज़ 13 - "काम का दायरा कम होने या काम छोड़ देने के कारण कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले खत्म करना" - के तहत आपको यह सूचना दी जाती है कि सक्षम अधिकारी ने काम का दायरा कम होने या काम छोड़ देने के कारण कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले खत्म करने का निर्णय लिया है।

यह नोटिस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना जारी किया गया है।

18/6/26

With reference to the above-mentioned work and in continuation of earlier correspondence regarding abandonment of scope of work. It is hereby informed that due to abandonment of scope of work the Authority is constrained to consider foreclosure of the contract for the work.

Accordingly, in terms of Clause 13 – “Foreclosure of Contract due to Abandonment of Reduction in Scope of Work” of the Contract Agreement, you are hereby given notice that the Competent Authority has decided to foreclose the contract due to abandonment of scope of work.

This notice is issued without prejudice to the right of Airports Authority of India under the Contract Agreement.

धन्यवाद/ Thanking you.

भवदीय / Yours faithfully,



(राजपाल लवासिया) / (Rajpal Lawasiya)

स.महाप्रबंधक (अभि-सि)/AGM (E-C)

भा. वि. प्रा., क्षे.मु. उ.पु.क्षे, गुवाहाटी

AAI, RHQ, NER, Guwahati.

अध्यक्ष महोदय की ओर से/ For and on behalf of the Chairman,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण /Airports Authority of India